न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मा न0 राजस्व प्रकरण 03/2020

प्रार्थी :– 1. मालाराम पुत्र रूपाराम जाति खारवाल
2.खुशबु पत्नि सोहन जाति खारवाल निवासी
पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नर्बदा देवी पत्नी भंवरलाल
2. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल
3. मदनलाल पुत्र भंवरलाल
4. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल
5. अरूणा पुत्री भंवरलाल
6. सुरज पुत्री भंवरलाल
7. संतोष पुत्री भंवरलाल
8. चम्पालाल पुत्र दुर्गाराम
9. मांगीलाल पुत्र दुर्गाराम
10. राजु पुत्र धनराज
11. राधेश्याम पुत्र धनराज
12. शारदा पत्नी ओमा
13. हुआ पत्नी धनराज
14. विजयसिंह पुत्र शिवलाल
15. ढलाराम पुत्र शिवलाल
16. मोहनीदेवी पत्नी शिवलाल सभी जातियान खारवाल
17. मैसर्स स्काईएज रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड पता एस–12 अरिहन्त प्लाजा, केलगिरी रोड, मालवीय नगर जयपुर।
18. रामेश्वर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी नीमडी की ढाणी वाटीका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री जेठूलाल प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 28.07.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा मण्डापुरा के खसरा नम्बर 2695/190 रकबा 06 बीघा व खसरा नं. 2696/190 रकबा 06 बीघा किस्म बारानी सोयम ग्राम सा. मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 18 उपरोक्त खातेदारी भूमि के

Scanned by CamScanner

...

सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण रा. 1 ता 18 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर मेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पैमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को दिनांक 6.01.2020 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण को जारी सम्मन बाद तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित । दिनांक 11.02.202 को नायब तहसीलदार बालोतरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौके पर उभयपक्षकान के उपस्थित में मौका जांच हेतु तहरीर जारी की गयी परन्तु विप्रार्थीगण को मौके पर कच्चे नेखम स्थापित करने की सुचना देने के बावजुद भी अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक पचपदरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा